मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-15

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2005 (फाल्गुन 13, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 23 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 124 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 106 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(सदस्य सर्वश्री रामलखन शर्मा, नारायण त्रिपाठी, दिलीप सिंह गुर्जर, विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, वंशमणि प्रसाद वर्मा, मनमोहन शाह बट्टी एवं डॉ. सुनीलम् माननीय विधायक श्री जुगुल किशोर बागरी के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के कर्मचारियों द्वारा मारपीट किये जाने संबंधी दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए गर्भगृह में आए तथा चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 22 सूचनाएं 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा उन्होने प्रदान की है निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी और इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री नागेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले में अवर्षा के कारण सूखा राहत देने,

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की मुरैना जिले के थाना केलारस निवासी रामलखन धाकड़ फरार घोषित होने के बाद भी जनपद पंचायत का चुनाव लड़ा जाने,

(3) पंडित रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के चौरई विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों में विद्युत खंबों पर तार न लगाये जाने,

(4) श्री रामदास उईके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के जामई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम मोरडोंगरी में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों का अभाव होने,

(5) श्री छत्रपती सिंह, सदस्य की सीधी जिला वन मंडल ग्राम चितरोली में नव निर्मित बांध के मजदूरों को निर्धारित दर पर मंजदूरी न देने,

(6) श्री किशोरीलाल वर्मा, सदस्य की खंडवा जिले के वोरगांव में पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लापरवाही होने,

(7) श्री नानाभाऊ मोहोड़, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के सौंसर क्षेत्रान्तर्गत अनेक ग्रामों में बाउंड्री तथा सड़क का निर्माण न होने,

(8) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की बुरहानपुर जिले में सैकड़ों वर्षों से रह रहे आदिवासी परिवार के मकानों को वन विभाग द्वारा तोड़े जाने,

(9) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल जिले के विकासखंड प्रभातपट्टन के शिक्षा कर्मियों को 6 माह से वेतन न दिये जाने,

(10) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य की देवास जिले के सभी मंडियों में चने की खरीदी समर्थन मूल्य पर न किये जाने,

(11) युवराज तुकोजीराव पवार, सदस्य की विनोवा नगर इन्दौर के एक विद्यालय में संचालित तीन मिडिल एवं चार प्राथमिक विद्यालय के भवन न होने,

(12) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी से फैल रहे प्रदूषण से पेयजल प्रदूषित होने के कारण अनेक बीमारियां होने,

(13) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य की प्रदेश के पांच चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दो मानसिक चिकित्सालयों में एक भी मनोरोगी प्रोफेसर की पदस्थापना न होने,

(14) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य की रीवा जिले के देवतालाब से नईगढ़ी पहुंच मार्ग का डामरीकरण न कराये जाने,

(15) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के लहार, मिहोना, आलमपुर एवं दबोह सहित पूरे भिण्ड जिले में विद्युत कटौती के कारण जनसामान्य को परेशानी होने,

(16) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, सदस्य की टीकमगढ़ जिले की नगर पंचायत पलेरा को बजट आवंटित न करने व बिना टेन्डर के हाई मास्क लाइटें खरीदी जाने,

(17) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य की ग्वालियर जिले के बरई जनपद क्षेत्र के तालाबों का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति,

(18) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य की जिला रीवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मऊगंज के भवन एवं उपकरण की कमी को पूरा करने,

(19) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की सीतामऊ जावरा रोड पर लसूड़िया और सरसपुरा के बीच की पुलिया का निर्माण न होने,

(20) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की वारासिवनी नगरपालिका क्षेत्र में चल रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान में भेदभावपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की जाने,

(21) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गंभीर अनियमितता की जाने, तथा

(22) श्री आरिफ अकील, सदस्य की जिला भोपाल के वार्ड क्रमांक 38 में विस्थापित धोबीघाट के बड़े बाग क्षेत्र के ट्रांसफार्मर बंद होने से विद्युत का अभाव होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री ऊर्जा ने -

(1) मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 56 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक 5704-एफ-आर.एस.17-तेरह-2002, दिनांक 29 सितम्बर, 2004, तथा
(ख) क्रमांक 7594-एफ-आर.एस.17-तेरह-2002, दिनांक 27 दिसम्बर, 2004, तथा

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक 2680-म.प्र.वि.नि.आ.2004, दिनांक 5 अक्टूबर, 2004
(ख) शुद्धि पत्र क्रमांक 012-मप्रविनिआ-2005, दिनांक 4 जनवरी, 2005
(ग) शुद्धि पत्र क्रमांक 222-मप्रविनिआ-2005, दिनांक 27 जनवरी, 2005
(घ) क्रमांक 3069-म.प्र.वि.नि.आ.-04, दिनांक 6 नवम्बर, 2004; तथा
(ङ) क्रमांक 3328-म.प्र.वि.नि.आ./ 04, दिनांक 20 दिसम्बर, 2004,

पटल पर रखी।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके उन्होने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर आधे घण्टे में चर्चा समाप्त हो सके इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री नानालाल पाटीदार, श्री दुर्गालाल विजय, श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने प्रदेश के अनेक जिलों में सरसों की फसल समर्थन मूल्य पर न खरीदने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने भोपाल शहर में ट्रेफिक व्यवस्था बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री बृजमोहन दास धूत, सदस्य ने देवास जिले की चिचली एवं मैलपिपल्या खदानों से रेत के उत्खनन की रायल्टी न मिलने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री रामदास उइके, हरवंश सिंह, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के जुन्नारदेव नगर में पार्सल बम विस्फोट के अपराधियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के -
  (क) ग्राम सांटा से मुंगावली तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
  (ख)ग्राम देवगढ़ से नहर रोड तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
  (ग) ग्राम बराहना को बीहड़ कटाव से बचाने हेतु सुरक्षा दीवार बनाये जाने,
  (घ) ग्राम गुढ़ा चम्बल स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने,
  (ङ) ग्राम नंदपुरा स्थित विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,
  (च) ग्राम बीरमपुरा से एम.एस.रोड तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा
  (छ) ग्राम हड़वासी से उमेदगढ़वासी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(2) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य की सीधी जिले के -
  (क) ग्राम मझौली स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
  (ख) ग्राम कोल्हुआ से तिनगुड़ी सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
  (ग) विनियम नाला एवं हुरूदुल नाले पर पुल बनाये जाने
  (घ) ग्राम देवसर में लोक निर्माण विभाग का संभाग स्थापित कराये जाने,
  (ङ) ग्राम बैढ़न में लोक निर्माण विभाग का उप संभाग स्थापित कराये जाने, तथा
  (च) ग्राम ओबरी से गजरा-बहरा रेल्वे स्टेशन तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(3) ठाकुर सोबरन सिंह "बाबूजी", सदस्य की जबलपुर जिले के -

(क) ग्राम कटरा बेलखेड़ा में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने, तथा

(ख) ग्राम सहजपुर में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,

(4) श्री निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले के -

(क) बहोरीबंद नगर में महाविद्यालय खोले जाने, तथा

(ख) बहोरीबंद नगर में स्टेडियम बनाये जाने,

(5) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य की होशंगाबाद जिले के -

(क) ग्राम शुक्करवाड़ा स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम सांगाखेड़ा कला, सांगाखेड़ा खुर्द, रानी गोहान एवं शुक्करवाड़ा कला में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने,

(6) श्री ताराचंद बावरिया, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम कुण्डाली से भैसादंड तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम गांगीबाड़ा एवं कुण्डाली कला के पास कुलबहरा नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(7) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -

(क) गाडरवारा स्थित कृषि उपज मंडी को "ए ग्रेड" मंडी का दर्जा दिलाये जाने,

(ख) गाडरवारा में गन्ना रिसर्च सेन्टर या कृषि महाविद्यालय खोले जाने,

(ग) ग्राम नांदनेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(घ)ग्राम कांधरगांव में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम डुंगरिया स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गई।

6. वर्ष 2004-2005 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2004-2005 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय ने इस द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 9 मार्च, 2005 को 2 घंटे का समय नियत किया गया।

7. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लए दो सौ पचपन करोड़, छियासठ लाख, छप्पन हजार रूपये,

अनुदान संख्या - 30	ग्रामीण विकास के लिए तीन सौ चौदह करोड़, ग्यारह लाख, सैतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 56	ग्रामोद्योग के लिए बीस करोड़, दस लाख, छत्तीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक सौ आठ करोड़, चवालीस लाख, साठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 62	पंचायत के लिए छियालीस करोड़, छियानवे लाख, तिरासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 68	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पंचायत के लिए एक हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए आठ सौ उनासी करोड़, चौबीस लाख, सैतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए तीन सौ सड़सठ करोड़, उनहत्तर हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 30	1,3,5
मांग संख्या - 62	2,3,4
मांग संख्या - 80	3

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री लाल सिंह आर्य
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री उम्मेद सिंह बना
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) डॉ. सुनीलम्
(7) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(8) श्री बृजेन्द्र तिवारी
(9) श्री गोविंद सिंह पटेल

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(10) श्री शंकर लाल तिवारी
(11) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(12) श्री बृजमोहन धूत
(13) श्री सुखदेव पांसे
(14) श्री नारायण त्रिपाठी
(15) श्री विजय बहादुर सिंह बुन्देला

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. अशासकीय विधि विषयक कार्य

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2004 को वापस लिया जाना

श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 16 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति चाही गई।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति उठाई कि अध्यक्ष महोदय, जब भारत का संविधान बना था, उसके प्रिएम्बल्स में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए तीन स्तम्भ की बात कही गई थी। एक कार्यपालिका, दूसरी न्यायपालिका और तीसरी विधायिका। यह जो प्रजातंत्र का ढांचा है, यह इन तीन स्तम्भों पर खड़ा हुआ है। यह जो विधेयक आया है, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों पर पूरा-पूरा अविश्वास किया गया है। मैं समझता हूं कि यह प्रजातांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने वाला विधेयक है। मेरा निवेदन है कि इस पर सदन में चर्चा भी नहीं की जा सकती। इसलिए मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि यह पूरा विधेयक असंवैधानिक है, इसको अगर वे वापस ले लेंगे, तो बड़ी कृपा होगी। अध्यक्ष महोदय, यह पुरःस्थापित भी नहीं हो सकता है।

श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, वैसे तो संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो आपत्ति की है वह ठीक है, उनको अपने हिसाब से कहने में और मुझे वापस लेने मे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इसमें आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में भी यह शामिल था कि यह संशोधन आप करेंगे और अगर हम बोलते तो बता देते कि हम प्रशासकीय अधिकारियों पर अविश्वास कर रहे हैं या आपको हम उचित सलाह दे रहे हैं। लेकिन सरकार का आग्रह है, तो हमें इसे वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस पर विचार करें और यह संशोधन आप जिस रूप में समझते हैं, उस रूप में ले आएं। आप हमारे शब्दों में भले ही मत लाएं लेकिन जो भावना है विधेयक की उसके अनुसार ही ले आएं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस संकल्प को वापस लेता हूं।

श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य द्वारा सरकार के आग्रह पर मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 16 सन् 2004) को सदन की अनुमति से वापस लिया गया।

9. अशासकीय संकल्प

(1) श्री निशिथ पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाये" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सभापति महोदय (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) पीठासीन हुए.

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(2) डॉ. गोविन्द सिंह
(3) श्री हरिन्दर जीत सिंह "बब्बू"
(5) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(6) डॉ. सुनीलम्
(7) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री

श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(श्री अखण्ड प्रताप सिंह, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनका अशासकीय संकल्प "सदन का यह मत है कि प्रदेश में 30 वर्षों से अधिक की उप-तहसीलों को तहसील का दर्जा प्रदान किया जाये" प्रस्तुत नहीं हो सका।)

(3) श्री नारायण त्रिपाठी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि देश में प्राकृतिक आपदा प्राधिकरण की स्थापना की जाये"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री नारायण त्रिपाठी
(2) डॉ. गोविन्द सिंह
(3) श्री बृजेन्द्र तिवारी
(4) डॉ. सुनीलम्
(5) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

श्री लवकेश सिंह, राज्यमंत्री, राजस्व ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने भी चर्चा का उत्तर दिया।

यथासंशोधित संकल्प निम्नानुसार स्वीकृत किया गया

"यह सदन केन्द्र शासन से देश में प्राकृतिक आपदा प्राधिकरण की स्थापना की अनुशंसा करता है"

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

5.17 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 9 मार्च 2005 (फाल्गुन 18, 1926) के पूर्वान्ह 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.